

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

असाधारण
EXTRAORDINARY

सं. 160] दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 24, 1994/कार्तिका 2, 1916
No. 160] DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 1994/KARTIKA 2, 1916

[पो. आर. डी. सं. 243
[P. R. D. No. 243

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिनियम

दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1994

सं.फा. 13(11) 94-न्याय/11/31:—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 12 अक्टूबर, 1994 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:—

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994

(दिल्ली अधिनियम नं. 11, 1994)

नई दिल्ली 12 अक्टूबर 1994

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित अधिनियम)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वृक्षों के परिरक्षण के लिए अधिनियम भारत गणसंघ के पैंतालीसवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएँ:—

अध्याय—I

प्रारम्भ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवर्तन :—(1) इस अधिनियम का नाम दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 होगा।

(2) यह समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होगा।

(3) यह तत्काल से लागू होगा।

2. परिभाषा :—इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) 'अपीलीय प्राधिकरण' से इस अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) 'उप वन संरक्षक' से वन प्रभाग का प्रभारी और क्षेत्र पर अधिकारों का प्रयोग करने वाला वन अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) 'सचिव' में वन सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अभिप्रेत है।

(घ) 'वनोपज' में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(अ) निम्नलिखित चाहे वे वनों में पाए जाते हों या वनों से लाए जाते हों या नहीं, अर्थात् इमारती लकड़ी, तारकोल, बाहक पदार्थ, कच्चा, काष्ठ तेल, जीसा, प्राकृतिक बालिश, छाज, पाख, महंगा के फूल, महंगा के बोग, कोथ और हरीतकी; और

(ब) निम्नलिखित जब वन में मिलें या वनों से लाए जाएं, अर्थात्

(1) वृक्ष और पत्ते, फूल और फल तथा वृक्ष के अन्य सभी भाग, जिनका पहले उल्लेख किया गया हो;

- (2) पौधे (घास, तिलहन, सरकण्डे और कोई रहित) जो वृक्ष नहीं हैं तथा ऐसे पौधों के सभी भाग अथवा उत्पाद;
- (3) वन्य जीव और खालें, हाथी दांत, सींग, हड्डियां, रेणु, कोया, शहद और मोद तथा पशुओं के सभी अन्य अंग अथवा उत्पाद; और
- (4) पांग, स्तही मृदा, चट्टान एवं खनिज (बूना पत्थर, लेटराइट्स खनिज तेल तथा खानों अथवा खदानों के तेल उत्पाद)।
- (इ) 'सरकार' से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सरकार अभिप्रेत है।
- (ज) 'अधिसूचना' से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।
- (ज) 'संगठन' से कोई कंपनी (सरकारी अथवा निजी) सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी विभाग; उपक्रम, बोर्ड अथवा स्थानीय प्राधिकरण अभिप्रेत है।
- (झ) अपनी सहाय्य: अभिव्यक्ति के साथ 'वृक्ष गिराने' से तने को जड़ों से अलग करना, वृक्ष को जड़ समेत उखाड़ना अभिप्रेत है जिसमें बुलडोजर से गिराना, काटना, डेरा काटना, काटना-छांटना, पीलविंग, वृक्षनाशकों का प्रयोग करना, जलाना या किसी अन्य तरीके से वृक्ष को क्षति पहुँचाना शामिल है।
- (अ) "वृक्ष" ऐसा हरा-भरा पौधा अभिप्रेत है जिसे शाखाएं तने से निकाली हों अथवा उस पर टिकी हों और जिसका तना अथवा शरीर जमीन से तीस सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पांच सेंटीमीटर व्यास से कम नहीं हो और जो जमीन की सतह से एक मीटर से कम ऊंचा न हो।

अध्याय II

वृक्ष प्राधिकरण

3. वृक्ष प्राधिकरण की स्थापना :—(1) सरकार एक अधिसूचना के द्वारा समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक वृक्ष प्राधिकरण गठित करेगी।

(2) वृक्ष प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात :—

- | | |
|---|------------|
| (1) सचिव (वन) अथवा सरकार द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी जिसका सरकार के सचिव पद से स्तर कम न हो | अध्यक्ष |
| (2) उपायुक्त दिल्ली | सदस्य |
| (3) सरकार द्वारा नामित विधान सभा के दो सदस्य | सदस्य |
| (4) सरकार द्वारा नामित स्थानीय निकायों के दो प्रतिनिधि | सदस्य |
| (5) उपवन संरक्षक | सदस्य-सचिव |

(3) वृक्ष प्राधिकरण गैर/सरकारी संगठनों और सरकारी विभागों के से अनाधिक ऐसे प्रतिनिधियों की निश्चित तरीके से और निश्चित

अवधि के लिए सहयोजित कर सकेगा जिनको वृक्ष परिरक्षण का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो।

4. वृक्ष प्राधिकारी की बैठकें : (1) वृक्ष प्राधिकारी की कम से कम तीन महीने में एक बैठक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान और समय पर होगी।

(2) बैठक के लिए गण-पुति-व्यास 3 के उपधारा (2) में वर्णित तीन सदस्यों से होगी।

(3) किसी भी सहयोजित सदस्य को बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(4) किसी मामले में मतों की समानता होने पर अध्यक्ष का मत समर्थक अथवा निर्णायक मत होगा।

अध्याय III

अधिकारी और कर्मचारी

5. वृक्ष अधिकारी की नियुक्ति : इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरकार कम से कम उपर्युक्त संरक्षक स्तर के एक या उससे अधिक अधिकारियों को वृक्ष अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

6. अन्य अधिकारियों की नियुक्ति : सरकार समय-समय पर ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है जिनको वह आवश्यक समझे जो वृक्ष अधिकारी के अधीन होंगे।

अध्याय IV

वृक्ष प्राधिकरण के कर्तव्य

7. वृक्ष प्राधिकरण कर्तव्य :— इस समय लागू अन्य कानून में किसी बात के होते हुए, वृक्ष प्राधिकरण सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अधधीन निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी होगा :—

(क) अपने कार्य क्षेत्र के भीतर सभी वृक्षों का परिरक्षण।

(ख) विद्यमान वृक्षों की गणना करना और जब आवश्यक समझा जाए सभी मालिकों और धारकों के उनकी जमीन पर वृक्षों की संख्या के बारे में घोषणा प्राप्त करना;

(ग) पौधालयों का विकास अनुरक्षण, ऐसे व्यक्तियों को बीजों, पौधों और वृक्षों की आपूर्ति करना जिनसे नए वृक्ष लगाने का गिराये गए वृक्षों बदले पौध लगाने की अपेक्षा की जाती है।

(घ) भवनों, नई सड़कों के निर्माण अथवा विद्यमान सड़कों के विस्तार के परिणामस्वरूप वृक्षों की पौधारोपण और रोपाई करवाना या सड़कों के किनारे आ जाने के कारण अथवा जान माल को सुरक्षा के लिए काटे गए वृक्षों के बदले पौध लगवाना;

(ङ) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रदर्शन एवं विस्तार सेवाएं प्रदान करना तथा वृक्षों पौधरोपण और वृक्ष परिरक्षण से सम्बन्धित निजी और सरकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान करना;

(च) ऐसी स्कूलों अथवा उपाय मुक्त करना जो इस कार्य निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय समय पर सरकार द्वारा निर्देशित किए जाए।

(छ) भवनों, सड़कों फेकटरियों, सिंचाई कार्यों के निर्माण, बिजली, टेलीफोन टेलीग्राफ तथा अन्य पारोपण लाइने बिछाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और निजी निकायों के प्रस्तावों की विद्यमान वृक्षों की रक्षा के संबंध में विवेचनात्मक अध्ययन करना तथा जहाँ सम्भव हो, अधिक पौधरोपण करवाना;

अध्याय—V

वृक्षों की कटाई और निष्कासन पर प्रतिबन्ध और वृक्षों के परिरक्षण के लिए दायित्व

8. वृक्षों की कटाई और निष्कासन पर प्रतिबन्ध :—इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में की गई व्यवस्था के अलावा, इस समय लागू किसी अन्य कानून अथवा किसी परम्परा अथवा दस्तूर या संविदा में किसी बात के होते हुए, कोई भी व्यक्ति वृक्ष अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना किसी भी भूमि में से चाहे वह उसके स्वामित्व में हो या उसके अधिकार में अथवा अन्यथा हो, किसी वृक्ष अथवा वनोपज को नहीं काटेगा, उसका निष्कासन नहीं करेगा या उसको नहीं बेचेगा;

बशर्ते यदि वृक्ष को तत्काल नहीं काटा गया तो उसमें जान माल या आयात के लिए सम्भार खतरा पैदा होने की सम्भावना हो, तो भू-स्वामी ऐसे वृक्ष को काटने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकता है और उसकी सूचना 24 घण्टे के अन्दर वृक्ष अधिकारी को देगा।

9. वृक्ष को गिराने, काटने, निष्कासित करने या बेचने के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया :—(1) किसी वृक्ष को गिराने, निष्कासित करने अथवा अन्यथा निपटाने का इच्छुक कोई व्यक्ति इसकी अनुमति लेने के लिए वृक्ष अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देगा और इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के साथ भूमि पर मालिकाना अधिकार, काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या जमीन के स्तर से 1.85 मीटर उंचाई पर जो गई घेरे की माप और उसके कारणों की पुष्टि करने वाले, निर्धारित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां, सम्पत्ति के स्थल और उसका संख्या को स्पष्ट तौर पर दर्शाने वाले साजरा की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

(2) प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर वृक्ष का निरीक्षण करने और यथावश्यक जांच करने के बाद वृक्ष अधिकारी पूर्णतः या आंशिक अनुमति प्रदान कर सकता है या लिखित रूप में कारण बताते हुए अनुमति देने से इन्कार कर सकता है।

किन्तु इस प्रकार की अनुमति देने से इन्कार नहीं किया यदि वृक्ष

- (i) सूखा हो, रुग्ण हो या हवा से गिर गया हो, या
- (ii) वनवृक्ष विज्ञान की दृष्टि से परिपक्व हो किन्तु किसी एकदम खड़े हलान पर न हो, या
- (iii) जान या माल के लिए खतरा बन गया हो या
- (iv) यातायात के लिए बाधा बन गया हो या,
- (v) आग, बिजली वर्षा अथवा किसी अन्य प्राकृतिक कारणों से पर्याप्त रूप से क्षतिग्रस्त या बरबाद हो गया हो, या
- (vi) ईंधन चारा, कृषि उपकरणों के लिए वास्तविक उपयोग हेतु या अन्य घरेलू उपयोग के लिए उसके काष्ठ व्यवस्था पत्तियों या उसके किसी भाग को विनियोजित करने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य जाना अपेक्षित हो।

(3) वृक्ष अधिकारी प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपना निर्णय दे देगा; किन्तु उसी क्षेत्र से एक व्यक्ति को एक ही वर्ष की दौरान दो से अधिक बार अनुमति नहीं दी जाए बशर्ते अधिकतम क्षेत्र एक बार में एक हैक्टेयर हो।

(4) यदि वृक्ष अधिकारी उप धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रार्थना-पत्र पर अपनी अनुमति सम्प्रेषित नहीं करता है तो उपधारा (3) में उल्लिखित अनुमति प्रदान की गई मान ली जाएगी।

(5) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गई प्रत्येक अनुमति निर्धारित फार्म और निर्धारित शर्तों के अधीन होगी जिसमें क्षेत्र के

बुनरुद्धार और वृक्षों के पुनः पौध रोपण अथवा अन्यथा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति लेना शामिल होगा।

10. वृक्ष के लिए दायित्व :—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसको इस अधिनियम के तहत वृक्षों को गिराना या निपटान की अनुमति दी जाती है, तो वह जिस क्षेत्र से अनुमति के अधीन वृक्ष गिराया या बेचा गया है उनमें ऐसी संख्या में और प्रमाति के वृक्ष लगाएगा जैसाकि वृक्ष अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाएगा।

किन्तु वृक्ष अधिकारी लिखित कारण बताते हुए कम संख्या में वृक्ष लगाने या किसी विशिष्ट क्षेत्र में वृक्ष लगाने की अनुमति प्रदान कर सकता है या किसी व्यक्ति को पौध लगाने या वृक्ष उगाने की जिम्मेदारी से छूट दे सकता है।

11. वृक्षों का परिरक्षण :—(1) धारा 13 के उपबन्धों के अधीन मालिक या का यह कर्त्तव्य होगा कि वह धारा 9 के तहत जारी आदेश का या धारा 10 के तहत जारी किसी निदेश का अनुपालन करे और इस प्रकार के आदेश या निदेश के अनुसार वृक्षारोपण करे और यह सुनिश्चित करे कि वृक्ष ठीक ढंग से उसे और उनका परिरक्षण हो।

(2) सभी मालिक अपने नियन्त्रणाधीन भूमि या क्षेत्र में उसे सभी वृक्षों की सक्रिय रूप से सुरक्षा करे और जहां वृक्ष अधिकारी का यह अभिमत हो कि वृक्षों को किसी क्षति से बचाने के लिए उचित उपाय नहीं किए गए हैं वह मालिकों को ऐसे उपाय करने के निदेश देगा जो किसी क्षति से वृक्षों को बचाने के लिए आवश्यक समझे जाते हों, किसी प्रकार की गन्ती पाए जाने पर वृक्ष अधिकारी स्वयं ऐसे उपायों की व्यवस्था करेगा और उपर होने वाले व्यय को निर्धारित तरीके से मालिकों से वसूल करेगा।

12. धारा 9 और 10 के तहत दिए गए आदेशों का कार्यान्वयन और उनके अनुपालन न होने के कारण हुए व्यय की वसूली :—

(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसको धारा 9 के तहत दिए गए आदेश और धारा 10 के तहत दिए गए निदेश के तहत पौधरोपण अनिवार्य रूप से करना है, वह ऐसे आदेश अथवा निदेश के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर तैयारी कार्य शुरू कर देगा और आगामी या अगले वर्षीय काल में या वृक्ष अधिकारी की अनुमति से बढ़ाए गए समय के भीतर ऐसे आदेश या निदेश के अनुसार वृक्षारोपण करेगा और भूमि अथवा क्षेत्र में विद्यमान अथवा लगाए गए वृक्षों को किसी भी क्षति से उपयुक्त और प्रभावी सुरक्षा प्रदान करेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा त्रुटि किए जाने पर, वृक्ष अधिकारी वृक्षारोपण पर पायेगा और वृक्षारोपण को लागत को निर्धारित तरीके से ऐसे व्यक्ति से वसूल करेगा।

13. वृक्षों को अपनाना :—इस अधिनियम में या इस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए, वृक्ष प्राधिकरण इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शर्तों और नियमों के अधीन यह स्वामी को इस बात का कारण बताओ नोटिस यदि कोई हो, देने के बाद कि क्यों न किसी नियमित निष्काय अथवा निस्थान को एक लिखित अनुमति द्वारा वृक्षों को ऐसे समय तक अपनाने दिया जाए जैसा कि अनुमति पत्र में निर्धारित किया गया हो, तथा ऐसी अवधि के दौरान यह नियमित निष्काय अथवा संख्या उन वृक्षों के अनुरक्षण और परिरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

14. अपील :—(1) धारा 9, 10 और 11 के तहत वृक्ष अधिकारी के आदेश या निदेश के खिलाफ अपील वृक्ष अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश या निदेश पारित किए जाने के तीस दिन की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकरण में की जाएगी।

(2) इन धाराओं के तहत प्रत्येक अपील एक लिखित याचिका द्वारा की जाएगी और उसके साथ जिन आदेश या निदेश के खिलाफ अपील की जा रही है उनकी एक प्रति और 10 रु का शुल्क भी भेजा जाएगा।

(3) किसी अपील का निपटारा करते समय अपिलिप प्राधिकरण तथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा किन्तु किसी भी अपील को तब तक नहीं निपटाया जाएगा जब तक अपील कर्ता को मुने जाने के लिए संगत अवसर भी दिया जाए।

अध्याय VI

दण्ड एवं प्रक्रियाएं

15. शक्ति को जब्त करना :—जहां वृक्ष अधिकारी के पास से यह विश्वास करने के लिए कारण है कि इस अधिनियम के तहत किसी वृक्ष के सम्बन्ध में कोई अपराध किया गया है, तो वह ऐसे अपराध को करने में प्रयुक्त किए गए औजारों उपकरणों कोई नाव वाहन, पशु अथवा अन्य सवारी को वृक्ष और उसके मार्गों, जिनको, जमीन से अथवा तनों से जैसा भी मामला हो अलग किया गया हो, सहित जब्त कर सकता है।

16. इमारती लकड़ी तथा वृक्ष के अन्य उत्पादन, वृक्ष को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण तथा इस प्रकार के वृक्ष के परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहनों और पशुओं को जब्त करना (1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अपराध को दोषी पाया जाता है, कोई इमारती लकड़ी अथवा वृक्ष जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, कटाई के लिए प्रयुक्त औजार तथा उपकरण तथा कोई नाव, वाहन, पशु अथवा अन्य सवारी जिसका प्रयोग इसके परिवहन में लिया गया हो, उसको सरकार के पास जब्त किए जाने का कोई भी व्यापारिक आदेश दे सकता है।

(2) वृक्ष से तैयार की गई कोई इमारती लकड़ी, औजार तथा उपकरण आदि तथा उप-धारा (1) के अन्तर्गत जब्त कोई नौकाएं, पशु अथवा अन्य सवारियों को वृक्ष अधिकारी द्वारा इस तरह निपटाया जावेगा जैसा कि निर्धारित किया जाए।

17. धारा 15 के अन्तर्गत जब्त सम्पत्ति को छोड़ने की शक्ति :—वृक्ष अधिकारी धारा 15 के अन्तर्गत जब्त सम्पत्ति को छोड़ सकता है यदि भूस्वामी ऐसे रूप में एक बांड निष्पादित करे जैसा कि आवश्यकता पड़ने पर इसे प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित किया गया हो।

18. बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति :—(1) कोई वृक्ष अधिकारी अथवा वन अधिकारी जिसका स्तर वन रेंजर या पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक के स्तर से कम का न हो, को बिना वारन्ट के अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी अपराध में पर्याप्त संदेह होने पर तथा यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम या पता बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम और पता बताता है जिसके बारे में संबंधित अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि यह असत्य और यदि वह यह मानता है कि यह व्यक्ति फरार हो जायेगा तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को पया-शीघ्र इस तरह की गिरफ्तारी के कारणों से सूचित किया जायेगा और उसे गिरफ्तार के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत की याता समय को छोड़ कर ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटों के अन्दर इस मामले के अधिकार क्षेत्र से संबंधित नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जावेगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उपरोक्त वर्णित अवधि से अधिक हिरासत में रखा जायेगा।

19. गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने की शक्ति :—कोई अधिकारी जिसने किसी व्यक्ति को धारा 18 की उप-धारा (1) के उपबंधों के

अन्तर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ऐसे व्यक्ति को पेश होने के लिए आवश्यकता पड़ने पर इस मामले के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस के समक्ष या वन अधिकारी जो उप वन संरक्षक के स्तर से कम का न हो अथवा वृक्ष अधिकारी के समक्ष उपयुक्त जमानत के साथ उसके द्वारा एक बांड निष्पादित करने पर छोड़ सकता है।

20. अपराध किये जाने की रोकने की शक्ति :—प्रत्येक वृक्ष अधिकारी या उसके अधीन या कोई वन, राजस्व या पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध को किये जाने से रोकने के प्रयोजन के लिए उसे रोकेंगा तथा हस्तक्षेप करेगा।

21. अपराध को प्रशमन करने की शक्ति :—सरकार अधिसूचना द्वारा किसी वृक्ष अधिकारी या किसी वन अधिकारी, जो उप वन संरक्षक के स्तर से नीचे का न हो, को निम्नलिखित अधिकार दे सकती है :

(क) निम्न राशि का भुगतान करके इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए किसी अपराध का प्रशमन करना—

(1) ऐसे अपराध जो व्यक्ति से करने की शंका हो, के निपटारे के लिए राशि, जो दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, तथा

(2) वृक्ष, जिसके संबंध में अपराध किया गया है, से निकाली गई इमारती लकड़ी तथा अन्य उत्पाद, यदि कोई हो, का मूल्य,

(ख) किसी जब्त सम्पत्ति या जिसकी जब्त होने की संभावना हो, को ऐसे अधिकारी द्वारा आंके गए मूल्य तथा अपराध के निपटारे के लिए देय निर्धारित राशि, जिसका आदेश वृक्ष अधिकारी या किसी वन अधिकारी, जैसा भी मामला हो, के आदेशानुसार, के भुगतान करने पर छोड़ता।

(2) ऐसे अधिकारियों ऐसी राशि या मूल्य अथवा दोनों का भुगतान करने पर जब्त सम्पत्ति या हिरासत में रखे गए दोषी व्यक्ति को छोड़ दिया जायेगा और ऐसे दोषी या सम्पत्ति के विरुद्ध आगे की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

22. कतिपय अधिकारी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन को सूचना देना प्रत्येक वन अधिकारी, यंचायत सचिव, पुलिस कांस्टेबल या उससे वरिष्ठ कोई अन्य अधिकारी तथा वृषि, वागवानी, खण्ड विकास तथा राजस्व विभाग प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा :—

(क) वह धारा 8 के उल्लंघन तथा ऐसे उल्लंघन की तैयारी की सूचना मिलने पर वृक्ष अधिकारी को सूचना देना,

(ख) ऐसे उल्लंघन जिसकी उसे जानकारी हो या यह विश्वास करने का कारण है कि उल्लंघन किए जाने की संभावना है, को रोकने के लिए अपनी शक्ति के अन्तर्गत सभी यथोचित उपाय करना।

23. संगठनों द्वारा अपराध (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने वाला यदि कोई एक संगठन है तो संगठन का प्रभावो या अपराध करते समय इसके कारोबार के संचालन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को अपराध का दोषी समझा जायेगा तथा अपराध के लिए तदनुसार उस पर मुकदमा चलाया जायेगा।

यद्यपि कि इस उप-धारा में किसी बात के होते हुए भी उस किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में वर्णित कोई दण्ड नहीं दिया जा सकेगा, यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया और उसके ऐसे अपराध होने से रोकने के लिए हर प्रकार का उचित उपाय किया।

(2) इस उप-धारा में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी संगठन द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध किया गया है और यह प्रमाणित हो जाता है कि अपराध इसके विभाग/कार्यालय/इकाई के प्रमुख

निदेशक, प्रबंधक, सचिव, खजांची या संगठन के किसी दूसरे अधिकारी की सहमति, अव्यक्त अनुमति या उसकी लापरवाही से किया गया है, विभाग/कार्यालय/हकाई का ऐसा प्रमुख निदेशक, प्रबंधक, सचिव, खजांची या संगठन के किसी दूसरे अधिकारी को उस अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा दण्ड दिया जायेगा।

24. दण्ड—(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अन्तर्गत बने नियमों या आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को दोष-निष्ठ होने पर एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।

25. अर्थदण्ड या जर्माने जिससे अन्य दण्ड में बाधा नहीं पड़ेगी—इस अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड या किसी सम्पत्ति को जर्माने से अन्य दण्ड जिससे व्यक्ति किसी अन्य कानून के तहत प्रभावित है, में बाधा नहीं पड़ेगी।

अध्याय—VII

विविध

26. लोक सेवक अधिकारी—इस अधिनियम के अन्तर्गत 1960 का केन्द्रीय अधिनियम, 45 शक्तियों का प्रयोग करने वाले किन्हीं कर्तव्यों या कार्यों का निर्वाह करने वाले अधिकारियों को सार्वजनिक दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक माना जायेगा।

27. कार्यवाहियाँ—इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई याचना या बर्च-वाही सरकार या शक्ति का प्रयोग या कर्तव्यों या कार्यों का निर्वाह करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बने नियमों या आदेशों के अन्तर्गत नकल नोटरी से किए गए किसी कार्य या किए जाने वाले कार्य अथवा गलती से किए गए किसी कार्य के लिए नहीं की जायेगी।

28. धन के श्रृंगार के लिए आवेश का निषेध—कोई राशि, जिसमें अपराध के उपपन्न के लिए कोई धन राशि भी शामिल है जिसके श्रृंगार के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को किए जाने के लिए निर्देश किया गया है, का श्रृंगार इस समय लागू किसी कानून के तहत वसूली के किसी अन्य तरिके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शू-राजस्व की वकालत राशि के तौर पर उससे वसूल क की जायेगी।

29. छूट देने के लिए सरकार की शक्ति—ऐसी लगाई गई शर्तों यदि कोई हों के अधीन सरकार यदि ऐसा करना जनहित में जरूरी समझे तो वह अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र या वृक्षों की किन्हीं प्रजातियों को इस अधिनियम की सभी या किन्हीं अवस्थाओं से छूट दे सकती है।

30. वृक्षों के परिरक्षण के लिए सरकार की शक्ति—(1) सरकार अधिसूचना द्वारा आम जनता के हित में घोषणा कर सकती है कि किन्हीं किस्मों की पेटी अवधि के लिए जैसाकि उस अधिसूचना में निर्धारित है, काटे नहीं जायेंगे।

(2) ऐसे वृक्षों का प्रबन्धन निर्धारित रीति से विनियमित किया जायेगा।

31. वृक्ष अधिकारों को कसिष्य शक्तियाँ देना—(1) सरकार अधिसूचना द्वारा वृक्ष अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियों या कोई शक्ति देती है, अर्थात्—

(क) किसी भूमि में शामिल होने की शक्ति और उसका सर्वेक्षण तैयार करना तथा मानचित्र बनाना।

(ख) गवहों को उपस्थित बाध्य करने तथा दस्तावेज एवं मौखिक वस्तुएं पेश करने की शक्ति;

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत खोज वास्ट जारी करने की शक्ति (1974 का केन्द्रीय अधिनियम, 2)

(घ) अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों का जांच करने की शक्ति और सबूतों की जांच के दौरान साक्ष्य प्राप्त और दर्ज करना;

(ङ) अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा लेने की शक्ति।

(च) सम्पत्ति को छोड़ने के लिए निर्देश देने और आरोप वापस लेने की शक्ति; तथा

(छ) उसके स्वामित्व या कब्जे वाले किसी भूमि पर पर्याप्त संख्या में उन्मुख प्रजाति का वृक्ष या वृक्षों के रोपण के लिए शक्ति।

32. निराई गई सामग्री का पारगमन—सार्वजनिक वन अधिनियम, 1927 की धारा 41, 1927 का केन्द्रीय और 42 के अन्तर्गत आवश्यक परिभाषित सहित इस अधिनियम के अन्तर्गत निराई गए वृक्षों अधिनियम 16 के पारगमन पर लागू होंगे।

33. निर्देश देने के लिए सरकार की शक्ति—सरकार समय-समय पर वृक्ष प्राधिकरण के वृक्ष अधिकारियों, अन्य अधिकारियों और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को उनके कार्यों के निर्वाह तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों की प्रतियों का से करने के लिए सामान्य या विशेष निर्देश दे सकती है और ऐसे वृक्ष अधिकारों 25 अन्य अधिकारों जारी किए गए निर्देशों का पालन करेगी।

34. नियम बनाने की शक्ति—

(1) सरकार, राजपत्र में प्रकाशनों के बाद अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के निर्वाह के लिए नियम बना सकती है, अर्थात्—

(क) यह उल्लेख करना कि वृक्ष गिराने, काटने हटाने या अन्यथा उसका निपटान करने की अनुमति लेने के लिए आवश्यक पत्र के साथ उन दस्तावेजों का निर्धारण, जिनकी सत्यापित प्रतियाँ निर्धारित फार्म के साथ संलग्न की जायेगी।

(धारा 9)

(ख) वृक्ष अधिकारी द्वारा उन स्वामियों या धर्त से वृक्षों की सुरक्षा नहीं कर पाते, से वृक्ष की वसूली की रीति का उल्लेख करना;

(धारा 11)

(ग) वे व्यक्ति जो वृक्षारोपण नहीं कर पाए, से पौधरोपण की लागत की वसूली की रीति का उल्लेख करना;

(धारा 12)

(घ) अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपीलों के निपटान की प्रक्रिया का विनियमन;

(धारा 14)

(ङ) जब ईमारती लकड़ी, वृक्षों से अन्य उत्पादों, औजारों और उपकरणों आदि के निपटान की रीति का उल्लेख करना;

(धारा 16)

(च) धारा 15 के अन्तर्गत जब सम्पत्ति को छोड़ने के मामले में स्वामी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले बांड के स्वरूप को निर्धारित करना;

(धारा 17)

(छ) वृक्षों को उस श्रेणी के प्रबंधन को विनियमित करने की रीति का उल्लेख करना जिनकी कटाई विशिष्ट अवधि के लिए निषिद्ध है;

(धारा 30)

(ज) कोई अन्य मामला जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किया जाना है, या निर्धारित किया जायेगा।

- (3) इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनने के पश्चात् विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

35. फिलहाल लागू किसी अन्य नियम के अलावा इस अधिनियम का उपबंध:— इस अधिनियम से किसी दूसरे कानून तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा इस अधिनियम के उपबंध अतिरिक्त होंगे तथा ये इस अधिनियम तथा इनके अन्तर्गत बने नियमों के उपबंधों के विरुद्ध नहीं आयेगें।

आर० टी० एल० डिपूजा, अवर सचिव (एल० ए०)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND

LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 24th October, 1994

(12-10-1994)

No. F. 13(11)94-Judl:11|31.—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 12th October, 1994 and is hereby published for general information:

THE DELHI PRESERVATION OF TREES ACT, 1994

(Delhi Act No. 11 of 1994)

(12-10-1994)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

AN

ACT

To provide for the preservation of trees in the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER 1

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

(2) It shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force at once.

2. Definition.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appellate Authority" means an authority appointed by the Government as appellate authority under this Act;

(b) "Deputy Conservator of Forests" means a forest officer in-charge of a forest division and exercising jurisdiction over the area;

(c) "Secretary" means the Secretary of Forests, Government of the National Capital Territory of Delhi;

(d) "forest produce" includes:—

(a) the following whether found in, or brought from, forest or not, that is to say:—

timber, charcoal, caoutchoue, catechu, wood-oil, resin, natural varnish, bark, lac, mahua flowers, mahua seeds, kuth and myrabolams, and

(b) the following when found in, or brought from, a forest, that is to say:—

(i) trees and leaves, flowers and fruits, and all other parts of produce not herein before mentioned, of trees,

(ii) plants not being trees (including grass, creepers, reeds and moss), and all parts or produce of such plants,

(iii) wild animals and skins, tusks, horns, bones, silk, cocoons, honey and wax, and all other parts or produce of animals, and

(iv) peat, surface soil, rock and minerals (including limestone, laterite, mineral oils, and oil products of mines or quarries);

(e) "Government" means the Government of the National Capital Territory of Delhi;

(f) "notification" means a notification published in the official Gazette;

(g) "organisation" means any company (public or private); government or semi-government department; undertaking; board or local authority;

(h) "to fell a tree" with its cognate expression, means severing the trunk from the roots, uprooting the tree and includes bulldozing, cutting, girdling, lopping, pollarding, applying arboricides, burning or damaging a tree in any other manner;

(i) "tree" means any woody plant whose branches spring from and are supported upon a trunk or body and whose trunk or body is not less than five centimetres in diameter at a height of thirty centimetres from the ground level and is not less than one metre in height from the ground level;

- (j) "Tree Officer" means a forest officer appointed as such by the Government for the purposes of this Act;
- (k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (l) words and expressions used in this Act and defined in the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927) but not defined in this Act, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER II

Tree Authority

3. Establishment of the Tree Authority.—(1) The Government shall, by notification, constitute a Tree Authority for the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(2) The Tree Authority shall consist of the following members, namely:—

- (i) Secretary of Forests or any other officer not below the rank of Secretary to the Government nominated by the Government.
—Chairman
- (ii) Deputy Commissioner, Delhi —Member
- (iii) Two Members of the Legislative Assembly nominated by the Government.
—Members
- (iv) Two Representatives of the local bodies nominated by the Government.
—Members
- (v) Deputy Conservator of Forests.
—Member-Secretary

(3) The Tree Authority may co-opt as members in such manner and for such period as it may determine not more than five representatives of non-official organisations and Government Departments having special knowledge or practical experience in the preservation of trees.

4. Meeting of the Tree Authority.—(1) The Tree Authority shall meet at least once in three months at such place and time as the Chairman may decide.

(2) The quorum to constitute a meeting of the Tree Authority shall be three members referred to in sub-section (2) of section 3.

(3) No co-opted member shall have the right to vote at a meeting.

(4) In the case of an equality of votes on any matter, the Chairman shall have a second or casting vote.

CHAPTER III

Officers and Servants

5. Appointment of Tree Officer.—The Government may appoint one or more Forest Officers of the rank not below that of a Deputy Conservator of Forests, as Tree Officers for the purposes of this Act.

6. Appointment of other Officers.—The Government may, from time to time, appoint such other officers and servants as may be considered necessary who shall be subordinate to the Tree Officer.

CHAPTER IV

Duties of Tree Authority

7. Duties of Tree Authority.—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Tree Authority shall, subject to any general or special order of the Government, be responsible for :—

- (a) the preservation of all trees within its jurisdiction;
- (b) carrying out census of the existing trees and obtaining, whenever considered necessary, declarations from all owners or occupants about the number of trees in their lands;
- (c) development and maintenance of nurseries, supply of seeds, saplings and trees to persons who are required to plant new trees or to replace trees which have been felled;
- (d) getting planting and transplanting of trees necessitated by construction of buildings, new roads or widening of existing roads or replacement of trees which have failed to come up along roads or for safeguarding danger to life and property;
- (e) organisation of demonstrations and extension services for the purposes of this Act and assisting private and public institutions connected with planting and preservation of trees;
- (f) undertaking such schemes or measures as may be directed from time to time by the Government for achieving the objects of this Act;
- (g) undertaking critical study of the proposals of various government departments and private bodies for construction of buildings, roads, factories, irrigation works, laying out of electric, telephone, telegraph and other, transmission lines with regard to protection of existing

trees and planting of more trees, wherever possible.

CHAPTER V

Restrictions on felling and removal of trees and liabilities for preservation of trees

8. Restrictions on felling and removal of trees.—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any custom or usage or contract and except as provided in this Act or the rules made thereunder, no person shall fell or remove or dispose of any tree or forest produce in any land, whether in this ownership or occupancy or otherwise, except with the previous permission of the Tree Officer.

Provided that if the tree is not immediately felled, there would be grave danger to life or property or traffic, the owner of the land may take immediate action to fell such tree and report the fact to the Tree Officer within twenty-four hours of such felling.

9. Procedure for obtaining permission to fell, cut, remove or dispose of, a tree.—(1) Any person desiring to fell or remove or otherwise dispose of, by any means, a tree, shall make an application to the concerned Tree Officer for permission and such application shall be accompanied by attested copies of such documents as may be prescribed in support of ownership over the land, the number and kind of trees to be cut, their girth measure at a height of 1.85 metres from ground level and the reasons therefor, copy of *sajra* showing clearly the site and *khassra* numbers of the property.

(2) On receipt of the application, the Tree Officer may, after inspecting the tree and holding such enquiry as he may deem necessary, either grant permission in whole or in part or for reasons to be recorded in writing, refuse permission.

Provided that such permission may not be refused if the tree:—

- (i) is dead, diseased or wind fallen; or
- (ii) is silviculturally mature, provided it does not occur on a steep slope; or
- (iii) constitutes a danger to life or property; or
- (iv) constitutes obstruction to traffic; or
- (v) is substantially damaged or destroyed by fire, lightning, rain or other natural causes; or
- (vi) is required in rural areas to be cut with a view to appropriating the wood or leaves thereof or any part thereof for bonafide use for fuel, fodder, agricultural implements, or other domestic use.

(3) The Tree Officer shall give his decision within sixty days from the date of receipt of the application :

Provided that no permission shall be granted to any person from the same area on more than two occasions during the same year subject to a maximum area of one hectare at a time.

(4) If the Tree Officer fails to communicate his permission on request within the period specified under sub-section (3), the permission referred to in section 8 shall be deemed to have been granted.

(5) Every permission granted under this Act shall be in such form and subject to such conditions, including taking of security for ensuring regeneration of the area and replanting of trees or otherwise, as may be prescribed.

10. Obligation to plant trees.—Every person, who is granted permission under this Act to fell or dispose of any tree, shall be bound to plant such number and kind of trees in the area from which the tree is felled or disposed of by him under such permission as may be directed by the Tree Officer:

Provided that the Tree Officer may, for reasons to be recorded in writing, permit lesser number of trees to be planted or trees to be planted in any different area or exempt any person from the obligation to plant or tend any tree.

11. Preservation of trees.—(1) Subject to the provisions of section 13 it shall be the duty of the owner of the land to comply with an order made under section 9, or a direction issued under section 10 and to plant trees in accordance with such an order or direction and to ensure that they grow well and are well preserved.

(2) All the owners shall effectively protect all lands or trees growing in the lands or the areas under their control and where the Tree Officer is of the opinion that adequate measures have not been taken to protect the trees from any damage, he may direct the owner to take such measures as are considered necessary to protect trees from damage. In case of default, the Tree Officer may himself arrange such measures and recover the expenditure thereon from the owner in the prescribed manner.

12. Implementation of order made or direction given under sections 9 and 10 and recovery of expenditure on failure to comply with them.—(1) Every person who is under an obligation to plant trees under an order made under section 9 or a direction given under section 10 shall start preparatory work within thirty days of the date of receipt of the order or directions, as the case may be, and shall plant trees in accordance with such order or direction in the ensuing or following rainy season or within such extended time as the

Tree Officer may allow and shall provide adequate and effective protection to the trees that exist or are planted in the land or the area from any damage

(2) In case of default by such person, the Tree Officer may cause trees to be planted and may recover the cost of plantation from such person in the prescribed manner.

13. Adoption of trees.—Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, the Tree Authority may, subject to such terms and conditions as it may specify in that behalf, after giving notice to the owner of the tree to show cause, if any, as to why the trees should not be given in adoption, allow, by a written permission, any body corporate or institution to adopt the tree for such period as may be specified in the permission and during such period, the said body corporate or institution shall be responsible for the maintenance and preservation of the said tree.

14. Appeal.—(1) An appeal shall lie against the order or direction of the Tree Officer under sections 9, 10 and 11 to the Appellate Authority within a period of thirty days of passing order or direction by the Tree Officer.

(2) Every appeal under this section shall be made by a petition in writing and shall be accompanied by a copy of the order or direction appealed against and a fee of rupees ten.

(3) In disposing of an appeal, the Appellate Authority shall follow such procedure as may be prescribed :

Provided that no appeal shall be disposed of unless the appellate has been given a reasonable opportunity of being heard.

CHAPTER VI

Penalties and Procedure

15. Seizure of property.—Where the Tree Officer has reasons to believe that an offence under this Act has been committed in respect of any tree, he may seize the tools, implements, any boats, vehicles, animals or other conveyances used for the commission of the said offence, alongwith the tree or part thereof which has been served from the ground or the trunk, as the case may be.

16. Forfeiture of timber and other produce from the tree, implements used for falling and the vehicle and animals used for transport of such trees.—

(1) Where any person is convicted of an offence under this Act, any timber or the tree in respect of which an offence is committed, the tools and implements used for felling and any boats, vehi-

cles, animals or other conveyances used for its transport, may be ordered by the court to be forfeited to Government.

(2) Any timber produce from the tree, tools and implements, etc. and any boats, animals or other conveyances forfeited under sub-section (1) shall be disposed of by the Tree Officer in such manner as may be prescribed.

17. Power to release property seized under section 15.—The Tree Officer may release the property seized under section 15 if the owner of the land executes a bond in such form as may be prescribed for its production whenever required.

18. Power to arrest without warrant.—(1) Any Tree Officer or a Forest Officer not below the rank of a Forest Ranger or a Police Officer not below the rank of a Sub-Inspector may, without a warrant, arrest any person reasonably suspected of having been concerned in any offence under this Act, and such person refuses to give his name or address or gives a name or address which the concerned officer has reason to believe to be false or if he has reason to believe that the person will abscond.

(2) Any person arrested under sub-section (1) shall be informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest and shall be produced before the nearest Magistrate having jurisdiction in the case within twenty four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the Magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of the Magistrate.

19 Power to release person arrested.—Any officer who has arrested any person under the provisions of sub-section (1) of section 18 may release such person on his executing a bond with proper surety to appear, if and when so required, before the Magistrate having jurisdiction in the case, or before the Police or the Forest Officer not below the rank of Deputy Conservator of Forests or the Tree Officer.

20. Power to prevent commission of offence.—Every Tree Officer or his subordinates or any Forest, Revenue or Police Officer shall prevent and may interfere for the purpose of preventing the commission of any offence under this Act.

21. Power to compound offence.—(1) The Government may, by notification empower a Tree Officer or any Forest Officer not below the rank of Deputy Conservator of Forest :—

(a) to compound any offence committed under this Act on payment of—

- (i) a sum not exceeding rupees ten thousand by way of composition for the offence which such person is suspected to have committed, and
- (ii) the value of timber and other produce, if any, from the tree in respect of which the offence has been committed;
- (b) to release any property seized or liable to confiscation, on payment of the value thereof as estimated by such officer and the amount determined as payable for composition of the offence, as ordered by the Tree Officer or any Forest Officer, as the case may be.

(2) On the payment of such sums or such value or both, as the case may be, to such officer, the property seized and the offender, if in custody, shall be released and no further proceeding shall be taken against such offender or property.

22. Contravention of Act to be reported by certain Officers.—It shall be the duty of every Forest Officer, Panchayat Secretary, Police Constable or any officer superior to him and every officer of the Department of Agriculture, Horticulture, Block Development and Revenue—

- (a) to give immediate information coming to his knowledge, of any contravention of section 8 and of preparation to commit such contravention to the Tree Officer or the Deputy Conservator of Forests;
- (b) to take all reasonable measures in his power to prevent such contravention which he may know or has reason to believe that it is about or likely to be committed.

23. Offences by organisations.—(1) If the person committing an offence under this Act is an organisation, the organisation as well as every person in charge of, and responsible to, the organisation for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be prosecuted against and punished accordingly;

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act

has been committed by an organisation and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of its Head of the Department|office|unit, director, manager, secretary, treasurer or other officer of the organisation such head of the Department|Office|unit director, manager, Secretary treasurer or other officer of the organisation shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

24. Penalty.—(1) Any person who contravenes any of the provisions of this Act or rules or orders made thereunder shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

25. Award of penalty or forfeiture not to interfere with other punishment.—The award of penalty or forfeiture of any property under this Act shall not prevent the inflicting or any punishment to which the person affected thereby is liable under any other law.

CHAPTER VII

Miscellaneous

26. Officers to be public servants.—The officers exercising powers or discharging any duties or functions under the Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. (Central Act 45 of 1860).

27. Bar of Proceedings.—No suit or proceedings shall lie against the Government or any person empowered to exercise power or to perform duties or discharge functions under this Act, for anything done or purporting to be done or omitted to be done in good faith under this Act or the rules and orders made thereunder.

28. Execution of order for payment of money.—Any sum, including any amount of composition of an offence, the payment of which has been directed to be made by any person under this Act shall, without prejudice to any other mode of recovery under any law for the time being in force, be recoverable from him as an arrear of land revenue.

29. Power of the Government to exempt.—Subject to such conditions, if any, as may be imposed, the Government may, if it considers it necessary so to do in the public interest, by notification, exempt any area or any species of trees from all or any of the provisions of this Act.

30. Power of the Government for Preservation of Trees.—(1) The Government may in the

interest of general public, declare by notification that any class of trees shall not be felled for such period as is specified in that notification.

(2) The management of such trees shall be regulated in the prescribed manner.

31. Investing Trees Officer with certain powers.—(1) The Government may, by notification, invest the Tree Officers and other officers Tree Officers and other officers with all or any of the following powers, namely :—
Central Act 2 of 1974.

- (a) power to enter upon any land and to survey, demarcate and make a map of the same;
- (b) Powers of a civil court to compel the attendance of witness and the production of documents and material objects;
- (c) power to issue a search warrant under the Code of Criminal Procedure, 1973;
- (d) power to hold enquiries into offences under the Act and in the course of such enquiry to receive and record evidence;
- (e) power to take possession of property under the Act.
- (f) power to direct release of property or withdrawal of charges; and
- (g) power to require any person to plant tree or trees of suitable species in adequate numbers on any land owned or occupied by him.

32. Transit of felled material.—The provisions of sections 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 shall *mutatis mutandis*, apply to the transit of the felled trees under this Act.

CENTRAL Act 16 of 1927

33. Power of the Government to give directions.—The Government may, from time to time, give to the Tree Officers, other officers of the Tree Authority and officers subordinate to them general or special directions regarding the discharge of their functions and for carrying out effectively the purposes of this Act, and such Tree Officers and other officers shall comply with the directions issued.

34. Power to make rules.—(1) The Government may, after previous publication make, by notification, in the official Gazette, rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules
2427 DG/94—3.

may provide for all or any of the following matters namely :—

- (a) Specifying attested copies of documents to be attached with application for obtaining permission to fell, cut, remove or otherwise dispose of a tree and prescribing the form in which such permission shall be granted;

(section 9)

- (b) specifying the manner for recovery of the expenditure by tree officer from owners who default to protect trees from damage;

(section 11)

- (c) specifying the manner for recovery of cost of plantation from persons who fail to plant trees;

(section 12)

- (d) regulating the procedure for disposal of appeal by the Appellate Authority;

(section 14)

- (e) specifying the manner of disposal of forfeited timber, other produce from the trees, tools and implement, etc;

(section 16)

- (f) prescribing the form of bond to be executed by an owner in case of release of property seized under section 15;

(section 17)

- (g) specifying the manner of regulating the management of class of trees felling of which for specified period is prohibited;

(section 30)

- (h) any other matter which is to be, or may be, prescribed under this Act.

(3) Every rule made by the Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly.

35. Provision of this Act to be in addition to any other law for the time being in force.—Nothing in this Act shall be deemed to affect the operation of any other law and the rules made thereunder and the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of the said Act and rules made thereunder.

R.T.L. D'SOUZA, Under Secy.(L.A.)

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अक्टूबर, 1994

संख्या: एफ 2(1)/91 आर ए-4740 जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन के उपराज्यपाल संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना अपेक्षित है। अतः अब गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 2/2/61 ज्यूडिशियल-II दिनांक 24 मार्च, 1961 के साथ पठित, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1957 (1947 की 14) की धारा-2 खण्ड (एन) उपखण्ड (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन के उपराज्यपाल रा० रा० क्षे० दि० शा० में निम्न लिखित उद्योगों में से प्रत्येक को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अग्रिम छः मास की अवधि के लिये दिनांक 24-4-95 तक बढ़ोतरी करते हुए सार्वजनिक उपयोगी सेवा घोषित करते हैं:—

1. सूती वस्त्र उद्योग,
2. आक्सीजन और बैलिडिंग में कार्यरत नैसों के निर्माण और उत्पादन में और बैलिडिंग एलकट्रोड के संभरण में कार्यरत, इंडियन आक्सीजन लि०, नजफगढ़ रोड इंड० एरिया, नई दिल्ली उत्तम एयर प्रोडक्ट प्रा० लि०, ए-61, ओखला इंड एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-20 तथा यूनिवर्सल आक्सीजन, ई-27, लिंक रोड, झंडेवालान, नई दिल्ली-55
3. दिल्ली नगर निगम के द्वारा संचालित फायर ब्रिगेड सेवा,
4. पेट्रोलियम उत्पादन के उत्पादनों, संग्रहण ट्रांसपोर्टेशन, बिक्री और वितरण जो थोक प्रदाय संग्रहण डिपो से तथा हवाई अड्डे अथवा उसके समीप के डिपो से होता है
5. दिल्ली परिवहन निगम,
6. समस्त माल पटल सेवाएँ जो कि रेलवे क्षेत्र में माल उतारने या चढ़ाने में संलग्न हैं,
7. समस्त परिवहन सेवाएँ जो कि मोटरवाहन अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत स्ट्रेज कैरिजेज के कार्य में लगी हुई है और रा० रा० क्षे० दि० शा० में कार्य में लगी हुई है और रा० रा० क्षे० दि० शा० कार्य कर रही है,
8. समस्त चिकित्सालयों, औषधालयों तथा उपचार गृहों जो कि औ० विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (जे) की परिभाषित शब्दावली के अन्तर्गत उद्योग हों,
9. आटा पीसने की मिलें जिनमें 10 से अधिक कामगार नियोजित हों,
10. फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 द्वारा अथवा फ़ैक्टरियों जो कि बिंदी उत्पादन सामग्री, बेकरी उत्पादन सामग्री हाईड्राक्लाटिक तेल अथवा भोज्य तेल, गेहूँ चावल, जई की पपड़ी, कार्नाफ़लैक्स उत्पादन सामग्री का निर्माण कर रहे हों,
11. फल, सब्जियों और मांस का डिब्बा बन्दोज परीक्षण का कार्य करने वाले उद्योग
12. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन, दिल्ली के सभी निवासी होटल और,
13. होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थित फ्लाईट किचन, एयरपोर्ट रेस्टोरेंट तथा स्नेकबार।

14. नारम इंटरनेशनल होटल्स प्रा० लि०, पालम गुडगांव रोड, नई दिल्ली-37

15. कोल्ड स्टोरेज (रेफ्रिजेशन) फैक्टरिया।

16. भारत सरकार पर्यटन विभाग नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन में चल रहे समस्त रेस्टोरेंट्स (जलपान गृह)।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन के उप-राज्यपाल के आदेश में एवं नाम से के० गार० साहनी, अवर सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th October, 1994

No. F.2(1)91-RA/740.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that public interest so requires.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (XIV of 1947) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 2/2/61-Judl. II dated the 24th March, 1961 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to extend the period of declaration of each of the following industries in the National Capital Territory of Delhi to be Public Utility Service for the purpose of the said Act for a period of six months upto 12-4-1995.

1. Cotton Textile.
2. Indian Oxygen Ltd., Najafgarh, Road, Industrial Area, New Delhi, engaged in manufacture/production of Oxygen and dissolved acetylene and other industrial gases and supply of arc welding electrodes and M/s. Universal Oxygen, E/27, Link Road, Jhandewalan, New Delhi-55 and M/S Uttam Air Products Ltd., A-61, Okhla Indl., Area, Ph. II, New Delhi-20.
3. Fire Brigade Service Maintained by the Municipal Corporation of Delhi.
4. Production Storages. Transportation, marketing and distribution of petroleum products at or from the bulk supply storage depots at or near airports.
5. Delhi Transport Corporation.
6. All Transport Services engaged in the plying of stage carriages as defined in the Motor Vehicles Act, 1939, and operating in the National Capital Territory of Delhi.

7. All goods transport services : engaged in the loading and unloading of goods on the Railways sidings.
8. All Hospitals, dispensaries and Nursing Homes covered by the definition of the term 'Industry' under Section 2(j) of the Industrial Disputes Act, 1947.
9. Flour Mills engaged in milling flour employing more than 10 workers.
10. Factories covered by the Factories Act, 1948, which are engaged in the manufacturing of diary products, bakery products, hydrogenated oil, edible oil, corn flakes products such as wheat, rice oat flakes.
11. Industries engaged in the canning and preservation of fruits and vegetables and meat.
12. All residential hotels in the National Capital Territory of Delhi.
13. Flight Kitchen Airport Restaurant and snack bars run by the Hotel Corporation of India Ltd., at the Delhi Airport.
14. "Narangs International Hotels, Private Ltd., Palam Gurgaon Road, New Delhi-110037.
15. Cold Storage (Refrigeration) factories.
16. All restaurants in the National Capital Territory of Delhi approved by the Department of Tourism Govt. of India, New Delhi.

By the order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

K. R. SAWHNEY, Under Secy. (Labour)

भूमि व सवतन विभाग
अधिसूचना

दिल्ली 24 अक्टूबर, 1994

सं. एफ. 7 (30)/90 भ. व भ. दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 22(1) के अधीन प्रदत्त व भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रदत्त निर्माण और आवास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 11011/15/71 यू. डी. आई. दिनांक 5 फरवरी 1972 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित सूची में वर्णित नजूल भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण के संकल्प संख्या 114 दिनांक 10 मई, 1961 में दिए गए नियमों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण को विकास हेतु हस्तांतरित करते हैं।

सूची

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)	खसरा नं	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
तिहाड़	0.05	285 मिन	0.05

आदेश से,
ज्ञानेन्द्र श्रीवास्तव संयुक्त सचिव (भूव.भ.)

LAND & BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th October, 1994

No.E.7(30)/90-L&B/LA:—In pursuance of the provisions of Sub-section (1) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 and by virtue of the powers of the Central Government delegated to him by the President of India, vide Government of India, Ministry of Works and Housing's Notification No. K-11011/15/71-UDJ dated the 5th Feb., 1972 the Lt. Governor, Delhi is pleased to place at the disposal of the Delhi Development Authority for the purpose of development in accordance with the Provisions of the said Act, the Nazul Land prescribed in the Schedule below on the terms and conditions agreed upon by the said Authority in its Resolution No. 114 dated the 10th May, 1961.

SCHEDULE

Name of Village	Total Area (Big.—Bis.)	Khasra No.	Area (Big.—Bis.)
Tihar	0-05	286 min.	0-05

By Order,
GYANENDRA SRIVASTAVA, Jt. Secy. (L&B)